UPBJ180013812021

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नगीना, बिजनौर।
मूलवाद सं0 368/2021
रणधीर सिंह आदि बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी आदि

01–02–2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। प्रार्थना–पत्र ग–31 पर आपत्ति ग–33 के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–31

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–31 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 मय शपथ–पत्र ग–32 प्रतिवादी सं.1 ता 3 की ओर से एकपक्षीय आदेश दिनांकित 03–08–2022 को अपास्त कराये जाने हेतु दिया गया है तथा कथन किया गया है कि वे नियत दिनांक को अपनी रिश्तेदारी में मौत होने के कारण काशीपुर चले गये थे। । प्रतिवादीगण अपने वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत कराना चाहते हैं।

वादीगण की ओर से आपत्ति कागज सं0 ग–33 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 04–10–21 को हाजिर होकर वकालतनामा दाखिल गया है प्रतिवादीगण को उपरोक्त वाद की दिनांक 04–10–21 से भली–भॉति जानकारी रही है उन्होंने जानबझकर समय सीमा के भीतर प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया है और न ही विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–20 के माध्यम से दिनांक 22–09–22 को संलग्न किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से एकपक्षीय आदेश दिनांक 03–08–2022 को अपास्त करा वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत कराये जाने की याचना की गयी है। वादीगण की ओर से आपत्ति दाखिल हे। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने से वाद के निसतारण में अनावश्यक विलम्ब अवश्य होगा जिसकी प्रतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से सम्भव है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा वाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–31 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–31 अंकन 100/रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश दिनांकित 03–08–2022 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवायी प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–20 दिनांक 04–03–2024 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना, बिजनौर।